(210)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3309–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–8–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 129/निगरानी/2009–10.

महेन्द्र प्रसाद मिश्र पिता स्व0 श्री देवीदीन मिश्र
निवासी ग्राम भलुहा तहसील रायपुर कर्चु0
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

श्री केशव प्रसाद मिश्र (मृत) वारिस–
राकेश कुमार मिश्र तनय स्व0 केशवप्रसाद मिश्र
निवासी ग्राम भलुहा तहसील रायपुर कर्चु0
जिला रीवा म0प्र0

———— अनावेदक

....

श्री मोहरध्वज सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री राकेश कुमार मिश्रा, अभिभाषक अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 29–8–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 16/अ–4/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 24–8–2009 से मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत ग्राम भलूहा तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि सर्वे कमांक 353, 354, 355,

356, 257, 360 के नक्शा संशोधित किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष निगरानी कमांक 129/2009–10 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 29–8–2012 से निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर, जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 16/अ–74/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 24–8–2009 से ग्राम भलूहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 353, 354, 355, 356, 257, 360 के नक्शा संशोधित किये जाने के आदेश दिये हैं, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी कमांक 129/2009–10 प्रस्तुत हुई है। मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 107 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला रीवा मूल न्यायालय है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2009 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रचलन योग्य/ग्राह्य योग्य है अथवा नहीं– अपर आयुक्त ने विचार नहीं किया है? अपर कलेक्टर रीवा मूल न्यायालय है जिन्होंने संहिता की धारा 107 के अंतर्गत अंतिम आदेश दिनांक 24–8–09 में पारित किया है मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी एवं अपर आयुक्त/आयुक्त द्वारा पारित अपील योग्य आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल में होगी, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 129/2009–10 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 29–8–2012 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचाराधीन निगरानी को अपील में बदलकर सुने जाने का आग्रह भी आवेदक के अभिभाशक ने नहीं किया है तथा प्रकरण का पेटा पूर्ण होकर अंतिम तर्क सुने जा चुके हैं,

जिसके कारण निगरानी प्रचलन योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

4/ पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति सहित रिकार्ड वापिस किया जाये। प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर